संख्या- 18/2088 /12-2-2014-बजट.7/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2014

विषय-संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- एस0एफ0/379 जी/लेखा-2/सं0बी0अनु0/ 2014-14 दिनांक 15 जुलाई, 2014 तथा शासन के पत्र संख्या- 1027/12-2-2014-बजट.7/2010 दिनांक 11 अप्रैल, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि रू0 350000 हजार (रूपये पैंतीस करोड) के सापेक्ष रू0 91667 हजार (रूपये नौ करोड सोलह लाख सरसठ हजार मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) की योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457-दस/2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

संख्या- 18/2088(1)/12-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in